न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– निरमा बिश्नोई, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:– 88/2022 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्रीमती मीना पत्नी श्री महेन्द्र उपाध्ये पुत्री श्री सत्यनारायण ओझा, आयु वयस्क निवासी बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

– प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:– श्री मुरारी जोशी (अधिवक्ता प्रार्थी

<u>निर्णय</u>

दिनांक 10.04.2023

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत दिनांक 07.07.2022 को प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम बनेड़ा पटवार क्षैत्र बनेड़ा भू–अभिलेख बनेड़ा तहसील बनेड़ा की खाता संख्या 1383 के आराजी नं. 5165 रकबा 0.2403 है0, आराजी नं. 5319 रकबा 1.5049 है0, आराजी सं. 5320 रकबा 0.0506 कुल किता 03 रकबा 1.7958 है0 भूमि प्रार्थिया के नाम राजस्व रेकार्ड में सह खातेदार के रूप से दर्ज है।

उक्त वादग्रस्त आराजीयात में सत्यानारायण पिता श्री हिरालाल ब्राहमण की विरासत से प्रार्थीया का नाम राजस्व अधिकारियो व कर्मचारियो ने अपनी जांच मे प्रार्थीया का नाम मीना के बजाय घर का उपनाम नीनू अकिंत कर दिया गया जबकी प्रार्थीया का उक्त नीनू नाम केवल घर का बोलता नाम है, एवं प्रार्थीया के समस्त राजकीय दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक अकाउण्ट एवं राशन कार्ड मे मीना अकिंत है। अतः उक्त आराजीयात के राजस्व अभिलेख मे प्रार्थीया के नाम मे संशोधन किया जाकर नीनू पुत्री सत्यनारायण के बजाय मीना पुत्री सत्यनारायण ब्राहम्ण किये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बनेड़ा एवं ग्राम पंचायत बनेडा से मौका रिपोर्ट मय वारिसान की सजरा रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार बनेड़ा ने उनके पत्रांक/भू.अ./4215 दिनांक 09.09.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई:–

1. श्री सत्यनारायण पिता हीरालाल ब्राहम्ण के निम्न विधिक वारिसान बताये गये:– 1– असीम (पुत्र), 2– वन्दना (पुत्री), 3– राजू (पुत्री), 4– मीना (पुत्री), 5– शारदा (पत्नी)(फौत) उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भी विधिक वारिस नहीं है।

सरपंच ग्राम पंचायत बनेडा के पत्रांक/163 दिनांक 12.09.2022 द्वारा निम्नानुसार रिपोर्ट भिजवायी है:–

1. उक्त प्रकरण में मौके पर जांच की गई एवं वोटर आई.डी., पैन कार्ड, आधार कार्ड के आधार के अनुसार विरासत में दर्ज नाम नीनू गलत है वास्तविक नाम प्रार्थिया का

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बनेड़ा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
[redacted]

मीना है। अतः उक्त वादग्रस्त में नीनू नाम गलत है, एवं वास्तविक नाम मीना आत्मज सत्यनारायण है।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत जमाबन्दी व राजस्व रिकार्ड तथा प्रकरण में तहसीलदार बनेड़ा एवं सरपंच ग्राम पंचायत बनेड़ा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया मीना पुत्री श्री सत्यनारायण ब्राहम्ण स्वंय उपस्थित हुये तथा निवेदन किया की दौराने विरासत नामान्तरण प्रार्थिया का नाम मीना पुत्री सत्यनारायण ब्राहम्ण के बजाय नीनू पुत्री सत्यनारायण ब्राहम्ण दर्ज हो गया जो गलत है अतः इसे सही किया जावें। प्रार्थी की बहस सुनी गई व पैरोकार सरकार स्वंय उपस्थित हुए।

उपरोक्त के अवलोकन व सरकारी पैरोकार द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस तथा कानूनी प्रावधानों व दृष्टान्तों के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि ग्राम बनेड़ा पटवार क्षैत्र बनेड़ा भू–अभिलेख बनेड़ा तहसील बनेड़ा की खाता संख्या 1383 के आराजी नं. 5165 रकबा 0.2403 है0, आराजी नं. 5319 रकबा 1.5049 है0, आराजी सं. 5320 रकबा 0.0506 कुल किता 03 रकबा 1.7958 है0 भूमि के नामान्तरण के वक्त प्रार्थिया का नाम मीना पुत्री सत्यनारायण ब्राहम्ण के बजाय नीनू पुत्री सत्यनारायण ब्राहम्ण दर्ज हो गय जिसे सही किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। ग्राम बनेड़ा पटवार क्षैत्र बनेड़ा भू–अभिलेख बनेड़ा तहसील बनेड़ा की खाता संख्या 1383 के आराजी नं. 5165 रकबा 0.2403 है0, आराजी नं. 5319 रकबा 1.5049 है0, आराजी सं. 5320 रकबा 0.0506 कुल किता 03 रकबा 1.7958 है0 भूमि में सह खातेदार प्रार्थिया नीनू पुत्री सत्यनारायण ब्राहम्ण के बजाय मीना पुत्री सत्यनारायण ब्राहम्ण किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार बनेड़ा उक्तानुसार जमाबन्दी में शुद्धि करें।

निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय / कार्यालय उप खण्ड अधिकारी • बनेड़ा (भीलवाड़ा) • सत्यमेव जयते

(निरमा बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भील.)